

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री महेश भुईयां पिता जीतन भुईयां और श्री राजेंद्र कुमार भुईयां पिता मोहन भुईयां निवासी ग्राम: बेंती, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: बेंती, थाना सं: 97 (रैयाती) खाता सं. 60, 31, 74, 54, 03 & 65 के अधीन प्लॉट सं. 1043/1478, 1596(P), 311, 85, 594, 697, 227, 334, 352 & 1557, कुल रकबा - 4.0003 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम बेंती, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: बेंती, थाना सं: 97 (रैयाती) खाता सं. 60, 31, 74, 54, 03 & 65 के अधीन प्लॉट सं. 1043/1478, 1596(P), 311, 85, 594, 697, 227, 334, 352 & 1557, कुल रकबा - 4.0003 एकड़ के तहत श्री महेश भुईयां पिता जीतन भुईयां और श्री राजेंद्र कुमार भुईयां पिता मोहन भुईयां निवासी ग्राम: बेंती, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।



Yours faithfully  
  
General Manager (L&R),  
CCL, Ranchi